राजस्व वाद 09/2021
सीसीएमएस नंबर 2021/12
नरेन्द्रसिंह बनाम् उच्छन कंवर वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 09/2021

वादीगण–

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याण सिंह , दत्तक पुत्र कर्णसिंह
   जाति– राजपूत ,निवासीगण– गडरिया ,तहसील–जायल,जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. उच्छन कंवर पत्नी विशाल सिंह
2. कल्याण सिंह पुत्र विशालसिंह
3. दिलिपसिंह पुत्र विशालसिंह
4. जयपाल सिंह पुत्र विशाल सिंह
5. हंसराजसिंह पुत्र विशालसिंह
   जातियान–राजपूत, निवासीगण–गडरिया, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
6. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा रोल
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से इस्लामुदीन काजी
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 6 परफोर्मा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गडरिया के खेत खसरा नंबर 129 रकबा 2.7438 हैक्टेयर, खसरा नंबर 34 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नंबर 38 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 3.8202 हैक्टेयर में संतोष कवंर के स्थान पर वादी नरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र कर्णसिंह को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर डिकी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे मजमें आम सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner